राँची जिला में मजदूरी परक रोजगार मुहैया कराने के बावजूद राँची श्रम बाजार में ग्रामीण श्रमिकों की उपस्थितिः एक अध्ययन

प्रस्तावना :- भारत सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य के बीस जिलों में शामिल राँची जिला में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत् ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को आजिविका की सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के तहत् प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल मजदूरी करने को इच्छुक हों न्यूनतम एक सौ दिनों की मजदूरी परक रोजगार की गारंटी देने का प्रयास किया गया है। परन्तु अभी भी राँची शहर में काम की तलाश में कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रमिकों का आना जारी है जो चिन्ता का विषय है। मजदूरों के अंशकालिक एवं दीर्घकालिक पलायन के प्रति रांची जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं सभी वरीय पदाधिकारियों तथा सहायक परियोजना पदाधिकारियों को श्रमिकों की पहचान करने एवं उन्हें सम्बन्धित ग्रामों में ही पाँच कि0 मी0 की परिधि में रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इस क्रम में रांची के विभिन्न बाजारों एवं चौक-चाराहों पर काम की तलाश में एकत्र होने वाले श्रमिकों का सर्वेक्षण कराया गया। साथ ही समाचार पत्रों में एतद् विषयक प्रकाशित विभिन्न खबरों के आलोक में त्वरित कार्रवाई की गई।

सर्वेक्षण का तरीकाः रांची शहर के विभिन्न चौक-चौराहों तथा बाजारों में एकत्र होने वाले श्रमिकों के सर्वेक्षण के लिये पदाधिकारियों के नेतृत्व में कई दलों का गठन कर उन्हें प्रातः 7.00 से 9.00 बजे एकत्र मजदूरों के बीच उपस्थित होकर सभी मजदूरों से बारी-बारी से एक प्रश्नावली द्वारा मौखिक रूप से प्रश्न पूछे गये तथा उनका संकलन किया गया।

सर्वेक्षित स्थलः लालपुर चौक, चर्चरोड, किशोरगंज चौक, हरमू रोड, डोरण्डा बाजार व रांची जिला मुख्यालय के विभिन्न समीपवर्ती ग्राम।

सर्वेक्षित स्थलों का व्योराः

क्रम संख्या	स्थल	सर्वेक्षण करनेवाले पदाधिकारी	तिथि
I	(क)रातू रोड से काठीटांड़ (ख)कांके-पिठोरिया-बुड्मू पथ (ग)रांची- हजारीबाग पथ	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची-सह वरीय प्रभारी पदाधिकारी,कांके प्रखण्ड प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कांके	12.01.07
II	दड़दाग ग्राम, ओरमांझी प्रखण्ड	निदेशक रा0नि0 कार्यक्रम सह वरीय प्रभारी पदाधिकारी, ओरमांझी प्रखण्ड	12.01.07

		प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ओरमांझी अंचल अधिकारी, ओरमांझी	
III	हुरहुरी(काठीटांड़ के समीप), रातू	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रातू	12.01.07
IV	मुड़मा एवं सुरसा(मांडर)	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डर	12.01.07
V	गेतलसूद, चिलदाग चिलदाग-सोसो(अनगड़ा)	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनगड़ा	12.01.07
VI	नागेडीह, पतराहातु, टुटकी, नवाडीह, बड़काचांगडू (सिल्ली)	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिल्ली	12.01.07
VII	डोरण्डा बाजार	उप समाहर्ता भूहदबन्दी, रांची -सह -वरीय प्रभारी पदाधिकारी, रांची	02.01.07
VIII	लालपुर चौंक, चर्चरोड, किशोरगंज चौंक, हरमुरोड	सहायक परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रांची-सह- वरीय प्रभारी पदाधिकारी,	12.01.07
IX	डोरण्डा बाजार	उप समाहर्ता भू-हदबन्दी, रांची -सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी	12.01.07
X	हुटार, रघुनाथपुर, बेतलांगी, आरा, सिलागाई, राकाडीह(चान्हो)	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हो	12.01.07
XI	नरकोपी, बलरामपुर, हुटार, मुकुन्दा, ईटा, पोटपाली, पहाड़कंडरिया, खड़देवड़ी, हरहंजी, जहानाबाज, सेरो	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेडो	06.01.07

<u>सर्वेक्षण के नतीजे</u>: सर्वेक्षण के पश्चात् यह बात सामने आयी कि खेति-बारी व अन्य कार्यो से ग्रामों में इन श्रमिकों को छः महीने के लिए दो वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। पलायन करने वाले सदस्यगण एक समूह में अपने-अपने ग्राम/टोला /कसबा/मोहल्ला से झुण्ड बनाकर विभिन्न तरीके से दूरी के अनुसार साईकिल, ट्रेकर, बस अथवा ट्रक द्वारा रांची पहुँचते हैं। श्रमिको में महिलाओं की संख्या लगभग एक-तिहाई पायी गई है।

(।।) रांची पहुँचने वाले श्रमिको की लगभग आधी संख्या शहरी क्षेत्र एवं अर्द्ध सरकारी क्षेत्र से आने वाले श्रमिको की है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण

क्षेत्रों से आने वाले राजमिस्त्री (कुशल श्रमिक) एवं मिस्त्री (अर्द्ध कुशल श्रमिक) के लिए गांव में सालो भर काम नहीं मिलने से रांची आना रोजगार पाने का सबसे सुगम जरिया है। रांची में भवन निर्माण एवं अन्य उद्योगों में श्रमिको का अच्छा बाजार है। रांची में कई दशकों से विभिन्न जिलों से आए राजमिस्त्रियों एवं मिस्त्रियों द्वारा यहाँ बिल्डर्स, गृह-स्वामियों द्वारा गृह निर्माण/ मरम्मत कार्यो तथा अन्य उद्योगो में श्रमिको की मांग को पूरा किया जाता रहा है। इसके लिए रेजा-कुली की भी भारी मांग है जिसमें इन्हें कठोर शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता है।

(।।।) कुछ उपस्थित श्रमिकों के एक चौथाई जो विभिन्न ग्रामों से आए हुए थे ने बताया कि गांव-घर में अभी हर समय काम नहीं मिलता है और मिलता भी है तो हम हाड़-तोड़ मेहनत करते हैं तो एक चौका मिट्टी काटने पर, जिसमें डेढ़ से दो दिन लगते हैं एवं मात्र 76.68 रूपये मिलते हैं जो कि हमारे मेहनत का पूरा दाम नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि हमें दैनिक या एक चौका के लिए ज्यादा मजदूरी मिले तो हम गांव में ही काम करेंगे। अभी रांची शहर में ये ग्रामों में मिलने वाले मजदूरी से ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं।

(iv) कुछ ही श्रमिकों में नरेगा कानून की जानकारी का अभाव पाया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत् बतौर अकुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए प्रावधान किया गया है। कुछ राजमिस्त्रियों ने बताया कि हमारे लिए इस कानून में पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया है क्योंकि ज्यादातर मिट्टी काटने की योजनाएं हैं जिसमें काम नहीं कर सकते हैं। ग्रामों में पक्का कार्यो का प्रावधान नरेगा लागू होने के बाद और भी कम हो गया है, ऐसा उन्होंने बताया।

(v) राँची में सर्वेक्षण के बाद पाए गए श्रमिक राँची के अतिरिक्त कई समीपवर्ती जिले यथा सिमडेगा, गुमला, लातेहार, पलामु, लोहरदगा, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, चतरा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा एवं समीपवर्ती राज्यों यथा छत्तीसगढ़(जसपुर), बिहार(जमुई) एवं पश्चिम बंगाल (झालदा, पुरूलिया) के थे। राँची जिला अन्तर्गत जिन प्रखण्डो से मजदूरों का आगमन हो रहा है उनमें बुण्डू, तमाड़, खूँटी, कर्रा, तोरपा, सोनाहातु, रातू, माण्डर, चान्हो, अनगड़ा, कांके, ओरमांझी, बेड़ो, नामकुम प्रमुख है।

राँची शहरी क्षेत्र से जो मजदूर आते हैं उनमें डोरण्डा, घाघरा, तिरिल, कोकर, हिनू, बिस्ती, बिरसा चौक, तुपूदाना , हटिया, ओबरिया, पण्डरा, डिबडीह, कुसई कालोनी आदि मुहल्ले शामिल हैं।

(vi) कुछ महिला एवं पुरूष श्रमिकों ने बताया कि गांव में उनलोगो को मिट्टी काटने के काम में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जबकि राँची शहर में उन्हें दिन भर हल्का काम जैसे ईट, चिप्स, बालू, मसाला आदि ढ़ोने और पहुँचाने का काम करने से 90 से 100 रूपया मिल जाता है। यहाँ मिलने वाली मजदूरी का

स्कोप ज्यादा है एवं गांव में उन्हें सरकारी दर पर मजदूरी के तहत भी उतनी राशि नहीं मिलती है। यहीं कारण है कि प्रतिदिन 20 से 32 रू. बस भाड़ा खर्च करके भी राँची वर्षो से आते रहते हैं। कुशल श्रमिकों (राजमिस्त्रियो व अन्य) को प्रतिदिन 140/- से 150/- रू0 तक मजदूरी राँची में मिल जाती है।

राँची आने वाले श्रमिको में ज्यादा तादाद- लगभग तीन चौथाई संख्या युवाओं की (18/20 से 40/45 वर्ष के स्त्री-पुरूष) पाई गई। इनमें से अधिकांश संख्या ग्रामों में होनेवाले कृषि कार्यो, ईट भट्टों, पत्थर तोड़ाई एवं सरकारी विकास योजनाओं में मजदूरी न करके राँची आने की हिमायती रही है। झारखण्ड अलग राज्य सृजन के पश्चात् एवं राँची के राजधानी बनने के बाद यहाँ श्रम की खपत ज्यादातर मांग एवं आपूर्ति के नियमों से संचालित हो रहीं है। यहाँ के उत्पादक श्रम को सरकार द्वारा मजदूरीपरक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुहैया किये जा रहे हैं, नियोजन के अवसरों द्वारा बिल्कुल विमुख एवं पृथक नहीं किया जा सकता है, ऐसा प्रतीत होता है।

(viii) राँची में पाए गए श्रमिको से वार्ता के पश्चात् यह भी पता चला कि नरेगा के कार्यान्वयन में अभी अथक प्रयास करने होंगे। नरेगा के तहत् सभी ग्रामों में शत-प्रतिशत आच्छादन, योजना की समग्र जानकारी एवं शिक्षण तत्परतापूर्वक जॉब-कार्ड निर्गत करने एवं पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने एवं ग्रामीणों की सहभागिता एवं सार्वजनिक उत्तरदायित्वबोध बढ़ाने की ओर सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। परन्तु ग्रमीण क्षेत्रों से आने वाले श्रमिकों को बेहतर प्रबंधन एवं विशेष क्रियाशीलन द्वारा राँची आने वाले श्रमिको की संख्या को कम किया जा सकता है, जिसकी स्पष्ट रूप से गुंजाईस भी है। परन्तु शहरी क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अलग सम्भावनाएं तलाश करनी होगी।

<u>जातीय वर्गीकरण (Ethnic Composition)</u> :

	संख्या	प्रतिशत
अ०ज०जा० आदिवासी	103	33.0
अ0जा0	46	14.8
अन्य पिछड़ा वर्ग	83	26.6
मुस्लिम	54	17.3
अन्य	26	8.3

एक तिहाई कामगार आदिवासी, 26.6 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्गो के तथा 17.3 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय के पाए गए हैं। अन्य जातियों के 8.3 प्रतिशत तथा अ0जा0 के 14.8 प्रतिशत कामगार राँची शहर के सर्वेक्षित कामगारों में आते हैं।

स्थान –प्रवास/ कामगारों का मौलिक वास स्थल

	संख्या	प्रतिशत
राँची शहर –	37	11.9
राँची जिला –	91	29.2
झारखण्ड के अन्य जिलो से –	155	49.7
झारखण्ड के बाहर से –	29	9.3
कुलः	312	100.0

सर्वेक्षित कामगारों में से लगभग 49.7 प्रतिशत झारखण्ड के अन्य जिलो से राँची शहर में काम करने के लिए आये हैं, लगभग 29.2 प्रतिशत राँची जिले के अन्य प्रखण्डों से आये हैं तथा 11.8 प्रतिशत राँची शहरी क्षेत्र के हीं निवासी हैं। लगभग 9.3 प्रतिशत कामगार अन्य राज्यों जैसे– प. बंगाल, छत्तीसगढ़ तथा बिहार से आए हैं। रेजाओं में अधिकांश राँची शहर तथा राँची शहर के निकटवर्ती इलाकों – गेतलसूद, सिकिदिरी, हिनू बस्ती, घाघरा, हटिया, तुपुदाना आदि जगहों से ही आती हैं।

काम का वर्गीकरण	संख्या	प्रतिशत
मिस्त्री	97	31.1
कुली/भार ढ़ोने वाले	154	49.3
पेंटर/चूना करने वाले	14	4.5
रेजा	47	15.1
	312	100.0

सर्वेक्षित कामगारों में 31.1 प्रतिशत राजमिस्त्री तथा सेनटरींग मिस्त्री का काम करते हैं, लगभग 49.5 प्रतिशत कुली तथा भार ढ़ोने वाले कार्य करते हैं। 4.5 प्रतिशत पेंटर/चूना करने वाले लोग थे तथा 15.1 प्रतिशत स्त्रियां रेजा का काम करती हैं।

कामगारों की मजदूरी

राजमिस्त्री	रू0 120– 150	प्रतिदिन
सेंटरिंग मिस्त्री	रू0 140– 150	प्रतिदिन
पेंटर	रू0 120–150	प्रतिदिन
कुली	रू0 80– 100	प्रतिदिन
रेजा	रू0 70– 90	प्रतिदिन
भार से मिट्टी ढ़ोना	रू0 120–150	प्रतिदिन

गुणवत्ता के अनुसार राजमिस्त्री को रू0 120–150 प्रतिदिन तथा सेंटरिंग मिस्त्री को 120–150 रू0 प्राप्त होते हैं। पेंटर/चूना करने वाले को 120–150 रू0 प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है। कुली को 80–100 रू0 प्रतिदिन की मजदूरी प्राप्त होती

है। रेजा को 70- 90 रू0 प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है। भार से मिट्टी ढोने वाले मजदूरों को ठेका के आधार पर 120-150 रू0 की आमदनी प्रतिदिन होती है।

कामगारों की राँची प्रवास की अवधि

कुल 312 कामगारों में से 269 कामगारों के राँची प्रवास की अवधि की जानकारी उपलब्ध हो पायी। लगभग 35.7 प्रतिशत कामगार राँची में 1-2 वर्षो से काम कर रहें है तथा 34.6 प्रतिशत कामगार 3-5 वर्षो से राँची शहर में कार्यरत पाये गये। लगभग 10 प्रतिशत कामगार राँची में 5-10 वर्षो से काम कर रहें हैं तथा 10.4 प्रतिशत 10 वर्षो से ज्यादा से काम कर रहें हैं।

समय/वर्ष	संख्या	प्रतिशत
एक वर्ष से कम	25	9.3
1-2	96	35.7
3-5	93	34.6
5-10	27	10.0
10	28	10.4

समीक्षात्मक मूल्यांकन (Critical Evaluation) :

नरेगा मूलतः मांग पर आधारित एवं केन्द्रित योजना है। इसमें दैनिक उपस्थिति के आधार पर मस्टर रौल संधारित करने का प्रावधान है एवं कार्यो के मूल्यांकन के आधार पर मजदूरी भूगतान किया जाता है। राँची जिला में वर्तमान में 10'×10'×10'- 100 घनफिट साधारण/मुलायम मिट्टी काटने पर 76.68 रूपये भुगतान करने एवं 10'×9'×1'- 90 घनफिट सख्त चिकनी कंकड़ मिट्टी काटने पर 76.68 रूपये भुगतान करने का प्रावधान है।

इसके परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों की स्थिति इससे बेहतर है। उदाहरण स्वरूप यदि झालावाड़ जिला (जो राजस्थान में है) में लागू प्रावधान पर नजर डाली जाये जो स्पष्ट होगा कि 10'×6.9'×1'- 68 घनफिट तथा 10'×5.11'×1'- 59 घनफिट जो साधारण/मुलायम मिट्टी एवं सख्त/चिकनी कंकड़ मिट्टी के लिए है (क्रमशः) वही पारिश्रमिक अर्थात 76.68 रूपये दिये जा रहे हैं। इस प्रकार की विषमता को दूर करना होगा। राँची जिला में एक चौका अर्थात प्रति 100 घनफिट मिट्टी के लिए दिये जाने वाले पारिश्रमिक दर को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। यदि यह दर झालावाड़ (राजस्थान) के सदृश्य कर दिया जाता है तो राँची आने वाले श्रमिकों की संख्या काफी कम हो जायेगी। साथ ही प्रतिदिन मस्टर रौल के संधारण में भी सहुलियत होगी क्योकि 68 घनफिट साधारण मिट्टी अथवा 59 घनफिट

सख्त मिट्टी प्रतिदिन श्रमिकों द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। इसे ''टाईम-मोशन स्टडी'' द्वारा भी सम्पुष्ट किया जा सकता है।

मौजूदा दौर में गरीब एवं अल्प शिक्षित कैजुअल नौजवान लेबर की संख्या सबसे ज्यादा है। इनमें से अधिकांश नवयुवक तथ नवयुवती शहर के आकर्षण में एवं उपभोक्तावादी संस्कृति से प्रभावित होकर शहर आते-जाते रहते हैं। राँची में उत्पादक श्रम की महत्वपूर्ण जरूरतों को यह श्रमिक वर्ग पूरा करता है। नरेगा की खामियेा को उत्तरोत्तर दूर करने का प्रयास जारी है। इसे लोकोन्मुख बनाने एवं पारदर्शिता से युक्त एक प्रभावशाली माध्यम बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। सामाजिक अंकेक्षण के दायरे को विस्तृत करने एवं इसे संस्थागत स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। परन्तु सिर्फ नरेगा ही सम्पूर्ण रोजगार सृजन एवं पर्याप्त श्रम अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। पिछले दस वर्षो में बेरोजगारी में लगभग 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। ग्रामीण, शहरी एवं फ्रिन्ज एरिया से आनेवाले श्रमिकों के लिए रोजगार समृद्ध दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन करने वाले उद्यमों को बढ़ावा देने एवं युवाओं के लिए शिक्षण कार्यक्रम तथा मानव दक्षता बढ़ाने वाले माध्यमों के विस्तार की आवश्यकता है।